तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 284/2019 अनवान सवाईसिंह बनाम खंगारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी का वकील प्रार्थी जवाब प्रस्तुत करना नही चाहते। सीधे बहस करना चाहते है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादी (प्रार्थी) की पैतृक खातेदारी की भूमि है। पैतृक भूमि में वादी (प्रार्थी) का जन्म से हिस्सा निहित है। यदि वादग्रस्त भूमि में राजस्व अभिलेख की स्थिति परिवर्तित होती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 का आवेदन खारिज फरमावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 (अप्रार्थी संख्या 01) ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 (अप्रार्थी संख्या 01) द्वारा खसरा संख्या 2341/29 रकबा 29.04 बीघा में अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में 1/2 अर्थात 14.12 बीघा भूमि आती है, जिसमे से 05.00 बीघा भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को बेचान की जा चुकी है, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन हो चुका है। शेष 09.12 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी सवाईसिंह की स्वतंत्र सहमति एवं ईच्छा से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 17.07.2019 को खरीददारान फूलसिंह पुत्र जुंझारसिंह को 02.10 बीघा, सवाईसिंह पुत्र अभयसिंह को 02.10 बीघा तथा रिडमलराम पुत्र आईदानराम को 02.00 बीघा, धर्मेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह को 0.12 बीघा तथा दरियादेवी पत्नी केवलसिंह को 02.00 बीघा कुल रकबा 09.12 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर भौतिक कब्जा करवा दिया। प्रार्थी सवाईसिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष सही तथ्य सामने नही लाकर ईकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है, जो अनुचित है। खरीददारान को पक्षकार नही बनाने के कारण वे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सकते। लिहाजा आवेदन निरस्त किया जाकर खरीददारान के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावें। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 284/2019 अनवान सवाईसिंह बनाम खंगारसिंह**	नम्बर व ... अहकाम जो हुकम की ता... मे जारी हुए
	होता है कि यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश उन व्यक्तियों के विरूद्ध पारित हुआ है जो इस वाद में पक्षकार नही है। खसरा संख्या 2341/29 रकबा 29.04 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा 192/584 जो वादग्रस्त है, का बेचान अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अन्य व्यक्तियों को इस वाद के दायर होने से पूर्व ही किया जा चुका है और बेचान का यह तथ्य अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत ओवदन आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध बेचान पत्रों की प्रतियों से स्पष्ट है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 2341/29 के रकबा 09.10 बीघा के बेचान के तथ्यों को छुपाकर यह आवेदन पेश किया है। यह आदेश ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध है जो इस वाद में पक्षकार नही है और इस प्रकार आदेश एक पक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 31.07.2019 निरस्त किया जाता है। प्रार्थी उक्त क्रेतागण को पक्षकार बनाकर नये सिरे से आवेदन पेश करे, साथ ही वाद में भी वादग्रस्त आराजी के क्रेतागण के पक्षकार बनावे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर।	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.01.21 10:43:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: